न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।
पीठासीन अधिकारी–बबीता रानी, उच्चतर न्यायिक सेवा

J.O. CODE- UP 1879

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 366 सन् 2024

(CNR No. UPSP 010006852024)

पुनीत नन्दा पुत्र जितेन्द्र नन्दा, निवासी 1088, सैक्टर–8, थाना सैक्टर–3, चण्डीगढ।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ0 प्र0 राज्य ।

.....विपक्षी।

मु0अ0सं0 03/2024
धारा 420,406,467,468,471,120बी,506 भा0दं0सं0,
थाना मण्डी, जिला सहारनपुर।

02.02.2024

प्रार्थी/अभियुक्त पुनीत नन्दा की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 03/2024 धारा , 420,406,467,468,471,120बी,506 भा0दं0सं0, थाना मण्डी, जिला सहारनपुर के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 15.01.2024 से न्यायिक अभिरक्षा के अन्तर्गत कारागार में निरूद्ध है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ बिजेन्द्र कुमार धीर पुत्र रामशरण दास का शपथपत्र दाखिल किया गया है, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अतिरिक्त कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि अभियोगी राजेन्द्र प्रसाद शर्मा की मुलाकात अभियुक्त पुनीत नन्दा से उसके जानकार के माध्यम से राजबीर सैनी निवासी ग्राम मनोहरपुर, थाना मण्डी, जिला सहारनपुर के घर पर हुई। पुनीत नन्दा ने जिला अनन्तपुर (न्यू जिला सत्यसांई) आन्ध्र प्रदेश में जमीन खेतीबाडी को खरीदने बेचने व उसे डवलप और बाग लगाने का अपनी कम्पनी मैसर्स कलर्स बिल्डटेक प्रा0 लि0 के द्वारा कार्य करना बताया तथा जमीन का बैनामा कराने की जिम्मेदारी पुनीत नन्दा ने अपनी बताई एवं उसकी कम्पनी के माध्यम से प्रति एकड 9375/– रूपये प्रतिमाह फल पैदा कर उसे बेचकर अभियोगी को देने की बात कही। अभियोगी ने पुनीत नन्दा की बातो पर विश्वास करके उसे उसी समय दो लाख रूपये नकद राजबीर सैनी व अपने जानकार अमित कुमार निवासी थानाभवन व अमित त्यागी निवासी मुजफ्फरनगर के सामने दिये। इसके बाद अभियोगी ने कई बार फोन करके जमीन की रजिस्ट्री कराने के बारे में पुनीत नन्दा को याद दिलाया तथा बार–बार कहने पर दिनांक 23.01.2021 को एक एकड भूमि का बैनामा अभियोगी की नाम कराया गया। अभियोगी ने दिनांक 26.04.2021 को पुनीत नन्दा के खाते में चार लाख रूपये तथा दिनांक 17.08.2021 को उसके बताये अनुसार आन्ध्र फ्रुट्स एण्ड लैण्ड के खाते में एक लाख रूपये आर0टी0जी0एस0 द्वारा अन्तरित कराये। कुछ दिन बाद अभियोगी ने और जमीन के बैनामा व जमीन के डवलप व बाग लगाने के बारे में पुनीत नन्दा से फोन पर बात की तो वह टालमटोल करने लगा तथा काफी दिन तक भी उक्त पुनीत नन्दा ने अभियोगी के नाम कोई जमीन का बैनामा व जमीन पर डवलप व बाग नहीं लगाया। शक होने पर आन्ध्र प्रदेश जाकर अपनी जमीन के बारे में जानकारी करने पर पुनीत नन्दा के साले सन्नी धीर मौके पर मिला। अभियोगी ने उससे अपनी जमीन के डवलप व बाग की जमीन के बैनामे के बारे में बात की तो उसने अभी और जमीन न मिलने तथा और पैसा जमा कराने पर जमीन डवलप व जमीन की रजिस्ट्री होना बताया तथा धमकी दी गयी कि वह भूमाफिया है और उन्होंने पहले भी बहुत सारे लोगो से ऐसे ही पैसे की ठगी की है। अभियोगी डर की वजह से वापस आ गया और पुनीत नन्दा व उसके गिरोह के बारे में जानकारी करने पर पता चला कि वह पूर्व में एक मामले में जेल जा चुका है और न्यायालय द्वारा सजायाफ्ता हो चुका है। वह व उसकी कम्पनी का दूसरा डायरेक्टर राजेन्द्र अग्रवाल फर्जी तरीके से लोगो को एग्रीमेन्ट बनाकर देते हैं। उक्त कम्पनी को वर्ष 2017 में फर्जी व कूट रचित कार्यो के कारण बंद करा दिया गया था। उसके बाद भी उक्त दोनो कम्पनी को चालू दिखाकर लोगो से ठगी कर पैसा ऐंठते रहे। अभियोगी को भी ऐसा एग्रीमेट बनाकर देने की बात कही गयी थी, लेकिन अभियोगी द्वारा ऐसा एग्रीमेन्ट लेने से मना कर दिया था। अभियोगी ने कई बार पुनीत नन्दा, सन्नी धीर, श्वेता नन्दा, मोहित नन्दा से फोन पर बात करने की

कोशिश की तो सभी ने दोबारा फोन करने पर गलत होने की बात की। उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से यह बहस की गयी है कि वह निर्दोष हैं। उसे इस मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। उसके विरूद्ध कथित धाराओं का अपराध नहीं बनता है। उसने कोई कथित अपराध नहीं किया है। वादी द्वारा जमीन खरीदने की बात करने पर जो जमीन उसे पसन आयी थी, उसी जमीन का बैनामा दिनांक 23.01.2021 को वादी के हक में कर दिया गया था तथा वादी द्वारा रूपये भी आन्द्रा फ्रुट्स एण्ड लैण्ड के खाते में अन्तरित किये गये हैं। वादी आज भी अपनी खरीदी गयी जमीन पर काबिज चला आ रहा है। वादी द्वारा खरीदी गयी जमीन आन्ध्र प्रदेश में स्थित है तथा वहीं पर उसका बैनामा व अन्य कागजात तैयार हुए। इस कारण सहारनपुर में वादी द्वारा पुलिस से साजबाज करके यह झूठा मुकदमा लिखवाया गया है। प्रार्थी दिनांक 15.01.2024 से कारागार में निरूद्ध है।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिये गये हैं कि कथित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

थाने से प्राप्त आख्या एवं केस डायरी का अवलोकन किया। प्रार्थी/अभियुक्त पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सुनियोजित ढंग से संगठित होकर आपराधिक षडयन्त्र रचकर धोखाधडी करके बेईमानीपूर्वक नाजायज लाभ प्राप्त करने के आशय से अपनी बन्द कम्पनी को चालू दर्शाकर प्रपत्रो की कूटरचना करके उन्हें असल के रूप में प्रयोग करते हुए जमीन दिलाने के नाम पर 7,00,000/– रूपये हडपने, तथा जान से मारने की धमकी देने का आक्षेप है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 01.01.2024 को आवेदक/अभियुक्त व अन्य के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। केस डायरी में संकलित साक्ष्य एवं प्रपत्रो से आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में संलिप्तता प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से वादी से कथित धनराशि प्राप्त कर उसके पक्ष में उसके द्वारा पसन्द की गयी भूमि का बैनामा कराया जाना कथित है। केस डायरी में उपलब्ध विक्रय–पत्र मात्र 100/– रूपये के स्टाम्प पर निष्पादित होना दर्शित है तथा उक्त प्रपत्रों को वादी की ओर से कूटरचित होना कथित है। प्रस्तुत मामले में विवेचना प्रचलित है। कथित अपराध सुनियोजित ढंग से संगठित होकर अपराधिक षडयन्त्र रचकर भोले भाले लोगो से पैसा हडपने सम्बन्धी गम्भीर प्रकृति का है। थाने की आख्यानुसार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध इस मुकदमे के अतिरिक्त थाना मण्डी पर इसी प्रकार के मु0अ0सं0 04/2024 व 05/2024, थाना नई मण्डी, मुजफ्फरनगर में इसी प्रकार के मु0अ0सं0 289, 293,296,306/2023, थाना तनकाल, जनपद श्री सत्या सांई, आन्ध्र प्रदेश में इसी प्रकार के मु0अ0सं0 146/2023 व 06/2024 दर्ज होना तथा मुख्य न्यायिक मजि0, चण्डीगढ द्वारा मु0अ0सं0 275/2002 धारा 420,406,120बी भा0दं0सं0 व धारा 3, 4 पी0सी0एम0सी0एस0 एक्ट 1978 में पारित आदेश दिनांकित 11.08.2014 के अनुसार आवेदक/अभियुक्त को दण्डित किया गया है, जिससे आवेदक/अभियुक्त इस प्रकार के अपराध कारित करने का अभ्यस्त प्रतीत होता है। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, कथित अपराध की गम्भीरता एवं आवेदक/अभियुक्त के आपराधिक इतिहास को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त पुनीत नन्दा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः– 02.02.2024

(बबीता रानी)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।